

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम मिठूयालाल 316 किशनलाल मीना

सारा 91 LR ACT नं. 228/17 सन्

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/1/17	<p>पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राज. भू. राजस्व अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 10/1/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार महवा, दौसा</p>	
10/1/18	<p>पत्रावली पेश हुई आवाज लगावाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया है। आशुत में समय दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 16-01-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार महवा-दौसा</p>	मीठूयालाल
16/1/18	<p>अजि पत्रावली पेश की जाते हुए आवाज लगायी गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया है। आशुत में समय दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/1/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार महवा-दौसा</p>	मीठूयालाल
18/1/18	<p>आज पत्रावली पेश हुई आवाज लगावाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य कनिष्ठ जज वाहर वॉर्ड पर पधारें हुए हैं पत्रावली दिनांक 25/01/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">L</p>	मीठूयालाल

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	हुकम में
25/01/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई। अजमेरी मान पीठासीन अधिकारी सभ नथि से बाहर दोहर पर पथारे हुए हैं पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/02/2018 को पेश है।	मी 640
01/02/18	पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिरिक्ती उपस्थित आया है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/2/18 को पेश है।	मी 641
12/2/18	<p style="text-align: right;">तहसीलवार तहसील-महवा (बीसा)</p> <p>पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई। अतिरिक्ती उपस्थित आया। अतिरिक्ती द्वारा कोई दोष स्वरूप सख्त पेश नहीं किए गए परंतु डल्ला के अग्रिम विवेक गये तथा पर्याप्ततरी अतिरिक्ती की फर्द के दखली एवं घटना वही पेश की गई जो शामिल पत्रावली ही बावत निर्णय दिनांक 17/2/18 को पेश है।</p>	मी 641
19/2/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई। अतिरिक्ती उपस्थित आया। पत्रावली दिनांक 26/2/18 को पेश है।	मी 641
26/2/18	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिरिक्ती उपस्थित आया। सैमिटर में प्रामुख्य रूप से यह कि परंतु डल्ला के कड़ा में शक नयागांव के खण्ड 447 रकबा 1.06 जैठ सुठ शस्ता में से 0.01 है 0 अदि पर इधर न जेद को फल्लव का इत नी रिपोर्ट परंतु डल्ला के कड़ा द्वारा नी गई रिपोर्ट के अतिरिक्त कर अतिरिक्ती को 200 रजस्व अतिरिक्ती	मी 641

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सदर अहकाम

मुकाम

महाराष्ट्र

सरकार

बनाम

मिठया उ/० किशनलाल

की न नि-गमावां व लहं महेता

किस मुकदमा

२२४/१७

नं.

सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26-02-18	<p>विषय गया। नोटिस पर आतिक्रमी अवलम्बित आया मामला विनाय-मय गैंगु शहला के सम्बन्धित है अतिक्रमण के दावा को बरत डूना है तथा आक्रमण को आगे जाके में परेशानी का हाकना कारण पड रहा है आतिक्रमी का उक्त कृत्य अक्षम्य है गैंगु शहला राजस्थान कास्तकारी अधिधिपनी 1953 को धारा के अन्तर्गत अपवर्जित है कति कमी द्वारा उक्त गैंगु शहला पर अतिक्रमण 447 रकवा 1-06 है से से 0-01 है रकवा कर सम्बन्ध 2073 में भी फलल रही है अतिक्रमण विषय का जो काड बुनवरी अतिक्रमी को आतिक्रमण शुदा रकवा से दिवांउ 4-1-17 को बेदखल विषय गया था बेदखल करने में कावजूद की फलल रही सम्बन्ध 2074 में लपन 447 पर रकवा 1-06 से से 0-01 है अति पर गेहूँ ईधन शुदा डालकर अतिक्रमण विषय है गैंगु शहला आक्रमण के लिए आवागमन को उपयोग की अति है जिस पर कोशकट प्रस्वत वनी-अतिक्रमण विषय है हमने परवारी हलका के लिये लिफे गये परवारी हलका ने वनासा की अतिक्रमी की गणना बन विनायक लाल गेति</p>	

निवासी नयागांव तहसील महाराष्ट्र जिला दौंडा में  
 कृषि कार्य कर कर अतिक्रमण करने का  
 आरोप है जिसको वेदावल करने के पश्चात  
 भी अतिक्रमण के फलस्वरूप 2014 में फल  
 कोशपर व बड़ा ईंधन डाल कर अतिक्रमण  
 किया है। अतिक्रमण पर चार तरीकों में चालू है  
 अतिक्रमण की बार बार अतिक्रमण करने की  
 प्रवृत्ति पर कृषि लगाया जाना जो कि आवश्यक  
 है। हमने धनावली का आवेदन किया गया  
 तथा इस निष्कर्ष पर धनुष की अतिक्रमण का  
 प्रश्नगत मुक्ति भर कोई अधिकार न टॉइल  
 सिद्ध नहीं होता है वह एन अतिक्रमण की  
 है ही पर रखता है जिसे अतिक्रमण मुद्रा देने  
 के बाद किया जाना निर्धारित आवश्यक है  
 अन्यथा अतिक्रमण को अतिक्रमण करने का  
 प्रहोत्साहन मिलेगा।

अतः श्री राजेश अफिनिपत्र  
 1956 की धारा 91 (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति  
 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त निम्नानुसार  
 किशन लाल जी नयागांव तहसील  
 को अतिक्रमण मुद्रा देकर वे वेदावल किया  
 जाता है तथा शमकप लगाकर 0.44 रु का  
 50 गुना आरंभ अक्षरपत्र को जोरों  
 इसके साथ ही पश्चातवर्ती श्रेणी का अतिक्रमण  
 होने पर एक माह 30 दिनों के सिविल कारावास  
 से फंडित किया जाता है धानदिहारी महाराष्ट्र  
 को अतिक्रमण मुद्रा मुद्रा किशनलाल जी नयागांव  
 निवासी नयागांव तहसील महाराष्ट्र जिला दौंडा  
 का वारंट गिरफ्तारी जारी है 78A धारा का  
 मोग कामती हेतु तथा 20 अतिक्रमण के व  
 पत्रवारी है बड़ा को अतिक्रमण को वेदावल  
 करने के फलस्वरूप निलाम हेतु लिखे जाते धनावली  
 धानकमील है 0.44 रु का हेतु नभर से कोर्ट  
 निर्णय है 0.44 रु का हेतु नभर से कोर्ट

दिनांक 2017-18 22 रू  
 वर्ष 2017-18 22 रू  
 को लाल  
 की लाल  
 दिनांक 8/3/18  
 दिनांक 8/3/18  
 दिनांक 8/3/18